

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 301 / 2007  
संस्थान दिनांक 13.07.2007

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द अंजड़,  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. पवन पिता स्व. मालुराम सरगरा, आयु-30 वर्ष,
2. चन्दुबाई पति स्व. मालुराम सरगरा, आयु 55 वर्ष,

दोनों निवासी-ग्राम मोयदा,  
तहसील राजपुर, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 72 / 2007 अंतर्गत धारा 494, 498-ए सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 13.07.2007 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध वर्ष 1995 से दिनांक 21.05.2007 तक ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग पर फरियादी रुकमणीबाई के पति/पति के संबंधी होकर रुकमणीबाई से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा अभियुक्त पवन ने उसकी पत्नी रुकमणीबाई के जीवित रहते हुए ललीताबाई से विवाह कर लेने के संबंध में अभियुक्त पवन के विरुद्ध धारा 498-ए, 494 भा.द.सं एवं अभियुक्ता चंदुबाई के विरुद्ध धारा 498-ए भा.द.स. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादी रुकमणीबाई का विवाह वर्ष 1995 में अभियुक्त पवन से हुआ था तथा चंदुबाई फरियादी की सास है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी रुकमणीबाई का विवाह जाति-रीति रिवाज अनुसार अभियुक्त पवन निवासी मोयदा, हाल मुकाम रणगौव रोड़ से हुआ था। विवाह के समय फरियादी के माता-पिता द्वारा दहेज भी दिया गया था, परन्तु विवाह के पश्चात् से ही फरियादी का पति उसके साथ मदिरापान कर मारपीट करता था और कहता था

कि उसके माता-पिता ने दहेज कम दिया है, उसे लेकर आ अन्य उसे नहीं रखेगा। अभियुक्त पवन मदिरापालन कर जुआ भी खेलता है। फरियादी के माता-पिता के घर से दी गई रमझोल व चांदी का कटोरा भी अभियुक्त द्वारा छीनकर बैच दिया गया तथा फरियादी की सोने की झुमकी 12 ग्राम की तथा 5 ग्राम सोने की अंगूठी जो उसे उसके जीजा राजेश ने दी थी। अभियुक्त फरियादी से यह भी कहता था कि आत्म हत्या कर ले, वह दूसरा विवाह कर लेगा। अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया व उसके माता-पिता पर बोझ बनकर रह रही है। दिनांक 09.04.2004 को पंचायती बुलाई गई जिसमें पंचों के समक्ष फरियादी ने एक पत्र लिखकर दिया कि वह अब भविष्य में फरियादी के साथ मारपीट नहीं करेगा, मदिरापान नहीं करेगा तथा जुआ भी नहीं खेलेगा तत्पश्चात् फरियादी वापस अपने पति के घर गई जहाँ 6-7 माह पश्चात् पुनः अभियुक्त पवन ने फरियादी के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। फरियादी द्वारा जिला चिकित्सालय बड़वानी में चिकित्सा भी करवाई गई। थाना प्रभारी एस.एस. चौहान को फरियादी रूकमणीबाई द्वारा की गई शिकायत का आवेदन पत्र जॉच हेतु प्राप्त होने पर प्रधान आरक्षक राजकिशोरसिंह से उक्त शिकायत की जॉच कराई गई जिसमें फरियादी रूकमणीबाई, मालुराम, चंदुबाई, शंकर, गोपाल, संजय उर्फ पप्पु रणछोड़ के कथनों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 72/2007 अंतर्गत धारा 498-ए, 494 सहपठित धारा 34 भा0द0सं0 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 लेखबद्ध की। साक्षियों के समक्ष अभियुक्तगण मालुराम, चंदुबाई एवं पवन को को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 5 लगायत 7 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये। अनुसंधान के दौरान ही पुलिस ने फरियादी रूकमणीबाई, साक्षी शंकर, गोपाल, शांताबाई, संजय उर्फ पप्पु, अनिल, रणछोड़, जगदीश, ललीता व जानीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान मालुराम की मृत्यु होने से उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी तत्कालीन श्री विवेक श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़, द्वारा अभियुक्त पवन के विरुद्ध धारा 498-ए एवं 494-ए भा.द.सं. तथा अभियुक्त चंदुबाई के विरुद्ध धारा 498-ए भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है —

1. क्या अभियुक्तों ने वर्ष 1995 से दिनांक 21.05.2007 तक ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग पर फरियादी रूकमणीबाई के पति/पति के संबंधी होकर रूकमणीबाई से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया ?

2. क्या अभियुक्त पवन ने उसकी पत्नी रूकमणीबाई के जीवित रहते हुए ललीताबाई से विवाह कर लिया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी रूकमणीबाई (अ.सा.1), शंकर (अ.सा.2) शांताबाई (अ.सा.3), गोपाल (अ.सा.4), संजय (अ.सा.5), अनिल (अ.सा.6), रणछोड़ (अ.सा.7), ललीताबाई (अ.सा.8), सहायक उपनिरीक्षक राजकिशोरसिंह चौहान (अ.सा.9), जगदीश (अ.सा.10) एवं एस.एस. चौहान (अ.सा.11) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं ।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार  
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी फरियादी रूकमणीबाई (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि उसके दो पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम गौतम तथा छोटे पुत्र का नाम उत्तम है। उत्तम उसके पास तथा गौतम अभियुक्त पवन के पास रहता है। उसका पति मदिरापान कर उसके साथ दहेज के लिए मारपीट करता था तथा एक बार उसका हाथ भी तोड़ दिया था, लेकिन उसने पति होने के नाते उसके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। उसके सास-ससुर ने उसे मारपीट कर घर से निकल दिया था, उसके बाद समाज की पंचायत ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में बुलाई थी। उसके बाद वह ससुराल गई तथा उसके पिता व समाज के लोग उसे छोड़कर आये थे, उसके बाद वह 6-7 माह तक ससुराल में रही थी। उसका पति उसे मारपीट करने लगा। सास कहती थी कि उसके माता-पिता ने दहेज कम दिया था, उसके पति ने उसकी सोने की अंगुठी एवं झुमकी जो उसके पिता ने विवाह में दी थी, बैच दी थी। उसकी सास ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था और कहा कि अपने माता-पिता के यहाँ जा तो वह अपने छोटे पुत्र के साथ पिता के यहाँ आ गई। बड़े पुत्र को उन लोगों ने रख लिया था। वह अपने मायके आ गई उसके 1 वर्ष पश्चात् उसके पति ने सर्च वारंट की कार्यवाही राजपुर के एसडीएम कार्यालय में की थी। वह

पानी पीने के लिए बाहर गई थी तब उसके पति ने डराया था, कि उसके साथ मत आना नहीं तो और मारेगा, इसलिए उसने डर के कारण एस.डी.एम. राजपुर को कह दिया कि वह अपने पिता के यहाँ जाना चाहती है। फिर वह अपने पिता के साथ घर आ गई। उसे नहीं मालूम की उसे हमेशा अपने पति से दूर उसके माता-पिता के घर रहना पड़ेगा। जब उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है तब उसने थाना अंजड़ पर प्रदर्शपी 1 की लेखी रिपोर्ट की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जब उसका विवाह पवन से तय हुआ था तब दहेज के लेन-देन संबंधी कोई बात नहीं हुई थी। उसके विवाह में रिश्तेदारों ने भेंट स्वरूप बर्तन एवं आभूषण दिये थे। विवाह होने के बाद जब वह पवन के घर पहली बार आई तब दूसरे दिन उसके पिता लेने आये और वह अपने पिता के घर गई तथा दो-चार माह तक पिता के घर रही थी। विवाह के 4-5 वर्ष बाद गौतम उत्पन्न हुआ उसके 2 वर्ष बाद उत्तम उत्पन्न हुआ। दोनों बच्चों के उत्पन्न होने के पूर्व विवाद अभियुक्त पवन के मदिरा पीने के कारण होता था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात् वह गौतम के उत्पन्न होने के मध्य उसके पति का एवं उसका विवाद होता था। वह त्यौहार होने पर अपने पिता के घर जाती थी, लेकिन अपने पिता को विवाद के बारे में नहीं बताती थी, क्योंकि आये दिन विवाद होता रहता था और वह सोचती थी कि सुधार आयेगा। छोटे पुत्र के उत्पन्न होने के बाद भी वह ससुराल में 2 वर्ष तक रही और उस दरमियान 2 वर्षों में भी उसने अपने माता-पिता को विवाद के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि पवन ने उसका हाथ फ़ेक्चर कर दिया था, लेकिन उसने हाथ फ़ेक्चर होने के बाद पवन के खिलाफ रिपोर्ट नहीं की थी क्योंकि दो बच्चे हो गये थे और उसने सोचा कि रहना तो यही पर है। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट करने के लगभग 2-3 वर्ष पूर्व से वह अपने पिता के घर रह रही थी। उसने देर से रिपोर्ट इसलिए कि क्योंकि उसे तभी पता चला कि पवन ने दूसरा विवाह कर लिया। यदि उसे पवन के दूसरे विवाह के बारे में पता नहीं चलता तो वह रिपोर्ट नहीं करती, साक्षी ने स्वतः कहा कि वह तो इस उम्मीद में थी कि कभी-न-कभी उसे ले जायेंगे, इस कारण उसने कभी रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी की पुलिस रिपोर्ट में, एस.डी.एम.न्यायालय में दिये गये उसके कथन एवं न्यायालय में हुए कथन के विलोप को साक्षी ने स्वीकार किया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त पवन के साथ व उसके माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती अथवा वह अपने पति को मायके में रखकर टेलरिंग का कार्य करवाना चाहती थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि जब पवन ने उसके मायके में आकर रहने से मना किया तो वह अपनी मर्जी से माता-पिता के यहाँ आ गई, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त उसे बार-बार लेने आता था और वह नहीं जाती थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि अभियुक्तों ने उससे दहेज की कोई मांग नहीं की थी और अभियुक्तों के विरुद्ध प्रदर्शपी 1 की मिथ्या रिपोर्ट की है।

9. शंकर अ.सा.2, शांताबाई अ.सा. 3, संजय अ.सा. 5, अनिल अ.सा.6 एवं रणछोड़ अ.सा.7 ने भी अभियुक्त पवन और उसकी माता द्वारा फरियादी के साथ दहेज को लेकर मारपीट करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षियों का यह भी कथन है कि अभियुक्त पवन ने मारपीट कर रूकमणीबाई का हाथ तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी। शंकर अ.सा.2, शांताबाई अ.सा. 3 का यह भी कथन है कि अभियुक्त पवन ने बड़वानी से सर्च वारंट निकलवाया तो फरियादी ने डर के कारण उसके साथ जाने से मना कर दिया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में शंकर अ.सा. 2 ने स्वीकार किया कि रूकमणीबाई के विवाह के समय दहेज की बात हुई थी, लेकिन उसने कहा था कि वह निर्धन है इसलिए वह दहेज नहीं दे सकता है, तब अभियुक्त पवन एवं उसके घर वाले मान गये थे और विवाह हो गया था। पवन ने रूकमणीबाई के साथ विवाह के 6 बाद पहली बार मारपीट की थी। रूकमणी ने उसे दो दिवस पश्चात् उक्त बात कही थी। साक्षी का यह भी कथन है कि पवन ने रूकमणी का हाथ विवाह के 2-3 माह बाद तोड़ दिया था, उसकी रिपोर्ट थाने पर नहीं की थी। साक्षी से पूछे गये उक्त प्रश्न बचाव पक्ष की ओर से स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आते हैं। इस साक्षी के भी पुलिस कथन एवं न्यायालय कथन में विरोधाभास है, लेकिन उक्त विरोधाभास इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे कि साक्षी का सम्पूर्ण कथन अविश्वसनीय हो जाये। शांताबाई अ.सा. 3 के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य नहीं आये, जिससे उसके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जाये। गोपाल अ.सा. 4 का यह भी कथन है कि रूकमणी ने उसे बताया था कि पवन उसके साथ दहेज कम लाने के कारण मारपीट करता है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे रूकमणी ने कोई बात नहीं बताई थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह फरियादी के पिता का पड़ोसी होने के कारण असत्य कथन कर रहा है।

10. संजय अ.सा.5, अनिल अ.सा.6 के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे कि उनके कथन को अविश्वसनीय माना जाये। साक्षियों ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध विलंब से रिपोर्ट इसलिए कि क्योंकि वह सोचते थे कि फरियादी को समझा-बुझाकर ससुराल भेज देंगे और उन्हें जैसे ही पता चला कि पवन ने दूसरा विवाह कर लिया है तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी। रणछोड़ अ.सा.7 के प्रतिपरीक्षण में भी कोई उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है।

11. सहायक उपनिरीक्षक राजकिशोरसिंह चौहान अ.सा. 9 का कथन है कि दिनांक 26.01.2007 को फरियादी द्वारा थाना पर दिये गये प्रदर्शनी 1 के आवेदन की जाँच करने पर फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षियों के कथन मन से लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि रूकमणीबाई आवेदन टाईप करवाकर और अपने हस्ताक्षर करवाकर लाई थी।

12. एस.एस. चौहान अ.सा.11 का कथन है कि दिनांक 21.05.2007 को उसे थाना अंजड़ में प्रदर्शपी 1 का शिकायती आवेदन की जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसने अभियुक्तों के विरुद्ध प्रदर्शपी 4 का अपराध दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी और साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार दर्ज किये थे तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट फरियादी स्वयं टाईप करवाकर लाई थी और प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट के आधार पर उसने जाँच के बाद प्रदर्शपी 4 का अपराध दर्ज किया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षियों के कथन उसने मन से लेखबद्ध किये थे।

13. अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी द्वारा अत्यंत विलम्ब से की गई है तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथनों में विरोधाभास एवं विसंगतियाँ हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि अभियोजन के सभी साक्षीगण फरियादी से हितबद्ध हैं, इस कारण उसके पक्ष में असत्य कथन कर रहे हैं।

14. यह सही है कि इस घटना की रिपोर्ट फरियादी ने काफी विलंब से दर्ज कराई है तथा प्रतिपरीक्षण में भी फरियादी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाने के 3 वर्ष पूर्व वह अपने पिता के घर रही थी, लेकिन साक्षी ने इसका स्पष्टीकरण यह दिया कि “वह इस उम्मीद में थी कि कभी-न-कभी उसे ले जायेंगे। इस कारण उसने रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि उसे अभियुक्त के दूसरे विवाह के बारे में पता नहीं चलता तो वह रिपोर्ट नहीं करती तथा उसे दूसरे विवाह के संबंध में पता चलने पर उसने थाने पर रिपोर्ट की है।” इस प्रकार फरियादी द्वारा रिपोर्ट लिखाने में हुए विलंब का जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह स्वभाविक प्रतीत होता है। यहाँ तक कि फरियादी ने अभियुक्त पवन द्वारा मारकर उसका हाथ तोड़ देने की रिपोर्ट भी नहीं लिखाने का स्पष्टीकरण यह दिया कि ‘अभियुक्त ने उसका हाथ तोड़ दिया था, लेकिन पति होने के कारण उसने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। साक्षी द्वारा लिखाई गई प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में भी वही तथ्य है, जो कि फरियादी के न्यायालय कथन में है तथा फरियादी के कथन में ऐसा कोई तात्त्विक विरोधाभास या विसंगति नहीं है, जिससे फरियादी की सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जाये। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट लिखाने के लगभग दो से ढाई वर्ष पश्चात् फरियादी व साक्षियों के कथन न्यायालय में हुए हैं तथा सभी साक्षी ग्रामीण पृष्ठभूमि के अशिक्षित व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में उनकी साक्ष्य में आये विरोधाभास एवं विसंगतियाँ स्वभाविक प्रतीत होती हैं, जिससे अभियोजन द्वारा साक्षियों को सिखाने-पढ़ाने की संभावना भी प्रगट नहीं होती है।

15. इस प्रकार फरियादी रूकमणी अ.सा.1 तथा साक्षियों के कथन से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त पवन ने रूकमणीबाई को विवाह के पश्चात् दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट और कूरता करके प्रताड़ना की। यहाँ तक कि उसका हाथ भी तोड़ दिया था तथा दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाकर उसके प्रति शारीरिक एवं मानसिक कूरता की, जो कि भा.द.स. की धारा 498-ए के अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 498-ए का अपराध अभियुक्त पवन के विरुद्ध प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त पवन पिता मालुराम को भा.द.स. की 498-ए के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

16. जहाँ तक अभियुक्त चंदुबाई का प्रश्न है, वहाँ फरियादी स्वयं ने उक्त अभियुक्ता द्वारा उसके साथ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने या कूरता कारित करने के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 498-ए का अपराध अभियुक्ता चंदुबाई के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त धारा के अपराध से अभियुक्ता चंदुबाई पति मालुराम को दोषमुक्त किया जाता है।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में

17. विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी फरियादी रूकमणीबाई (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, लेकिन साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा दूसरा विवाह किस प्रकार किया गया था, अन्य अभियोजन साक्षियों ने भी यह कथन किया कि पवन ने दूसरा विवाह कर लिया है।

18. ललीताबाई अ.सा.8 का कथन अभियोजन की ओर से अभियुक्त पवन की दूसरी पत्नी होना बताकर कराया गया है, लेकिन उक्त साक्षी ने अभियुक्त से अपना विवाह होने से स्पष्ट इंकार किया है। यद्यपि इस साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह अभियुक्त के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर इन्दौर से आई थी, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त पवन के साथ निवास करती है।

19. जगदीश अ.सा.10 ने भी अभियुक्त पवन पर ललीताबाई के साथ दूसरा विवाह करने के संबंध में स्पष्ट इंकार किया है। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को इस संबंध में कथन देने से भी इंकार किया है।

20. भा.द.सं. की धारा 494 के अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा अपनी पहली पत्नी या पति के जीवित रहते हुए उसी रीति-रिवाज और संस्कारों के साथ दूसरा विवाह किया जाये। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्त पवन ने रूकमणीबाई अ.सा.1 के जीवित रहते हुए ललीताबाई अ.सा.8 से हिन्दु रीति-रिवाज सप्तपदी के अनुसार दूसरा विवाह पहली पत्नी के जीवित रहते हुए किया है। ऐसी स्थिति में भा.द.सं. की धारा 494 का अपराध अभियुक्त पवन के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 494 में दोषमुक्त किया जाता है।

21. अभियुक्त पवन के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 498-ए का अपराध प्रमाणित हुआ है। समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए अभियुक्त पवन को परीविक्षा पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर निर्णय स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

### पुनश्च:

22. अभियुक्त पवन के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अभियुक्त पवन ग्रामीण, निर्धन एवं अशिक्षित एवं परिवार का एकमात्र कमाने वाला होकर लंबे समय से विचारण का सामना कर रहा है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये तथा केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये।

23. यह सही है कि अभियुक्त लंबे समय से विचारण का सामना कर रहा है, लेकिन अभियुक्त ने इस तरह से अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर दहेज की मांग कर कूरता कारित की, जिसे देखते हुए अभियुक्त पवन सहानुभूति का पात्र प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त पवन पिता मालुराम, निवासी ग्राम मोयदा, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी को भा.द.सं. की धारा 498-ए में दोषसिद्ध ठहराते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रुपये 100/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त पवन को 1 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाये। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त पवन द्वारा निरोध में बिताई गई करावास की सजा, दी गई सजा में समायोजित की जाये।



24. अभियुक्त पवन के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाये जाये।
25. अभियुक्त पवन को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अविलंब दी जाये।
26. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित मेरे उद्बोधन पर टंकित।  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी



न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 301/2007 (शासन पुलिस अंजड़ विरुद्ध पवन आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- पवन पिता मालुराम, 38 वर्ष,  
निवासी- ग्राम मोयदा, तहसील राजपुर,  
जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 09.07.2007

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- निरंक

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0